सं0-254/62-2-2015-2/3(15)/2014

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड,

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनउ- दिनांक- 30 जनवरी,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन आयोजनागत पक्ष में लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायक (नि:शुल्क बोरिंग योजना) में सामान्य कृषकों हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त् धनराशि का जनपदवार फॉट संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में (जिला योजना)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-247/ल0सिं0/बजट-3/2014-15, दिनांक 28-01-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में जिला योजना के अन्तर्गत संचालित नि:शुल्क बोरिंग हेतु सामान्य योजना में प्राविधानित धनराशि `-4080.00 लाख के सापेक्ष लेखानुदान के माध्यम से प्रथम चार माहों हेतु शासनादेश संख्या- 1105/62-2-2014/3(15)/2014, दिनांक 15.05.2014 द्वारा धनराशि `-1360.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-2163/62-2-2014-2/3(15)/2014, दिनांक 19.08.2014 द्वारा धनराशि `-680.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-2960/62-2-2014-2/3(15)/2014, दिनांक 13.10.2014 द्वारा धनराशि `-2040.00 लाख इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त् की जा चुकी है।

3. शासनादेश दिनांक 13.10.2014 द्वारा अवमुक्त् की गयी धनराशि के साथ संलग्न विवरण/जनपदवार फॉट को निम्नानुसार संशोधित करते हुए उक्त शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद	नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	पूर्व में बजट प्राविधान(गत वर्ष के परिव्यय के आधार पर)	पूर्व में अवमुक्त् धनराशि	संशोधित बजट प्राविधान	संशोधित अवमुक्त् धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सहारनपुर	17.30	14.27	14.27	12.97	12.97
2	अलीगढ	346.50	51.47	51.47	53.12	53.12
3	मुरादाबाद	34.60	16.43	16.43	17.30	17.30
4	जालौन	0.77	0.26	0.26	0.69	0.69

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5	हमीरपुर	1.90	3.21	3.21	1.56	1.56
	योग-	**401.07**	**85.64**	**85.64**	**85.64**	**85.64**

(रूपया पचासी लाख चौसठ हजार मात्र)

4- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (बोरिंग तथा पम्पसेट निर्माण हेतु अंश का 50 प्रतिशत अनुदान) (जिला योजना)-27-सब्सिडी" के नाम डाला जायेगा।

भवदीय,
ह0/
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

सं0-254(1)/62-2-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त् जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचाई विभाग।
8- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।